



प्रेषक,

सुजाता शर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,

उद्योग निदेशालय,

कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021**

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत 02 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रु. 25,33,038.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या-3343/औ0आ0अनु0-11/स्टैम्प शुल्क प्रतिपूर्ति/2020-21 दिनांक 02-02-2021 द्वारा पात्र कुल 02 इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की धनराशि रु. 25,33,038.00 (रूपया पच्चीस लाख तैंतीस हजार अड़तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु संस्तुति सहित वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, पात्र इकाइयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	इकाई का नाम	विलेख निबन्धन की तिथि	वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि	उत्पाद का नाम	शासनादेश दि.05.12.012 के अन्तर्गत आच्छादित प्रस्तर एवं प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	शासनादेश सं0-848/77-6-13-15(एम)/05दिनांक 04.06.2013	निदेशालय स्तर प्रतिपूर्ति योग्य पायी गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स के0पी0डाइस इण्डिया, प्रा0लि0, भू0सं0 डी-15 इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-3, मेरठ रोड, गाजियाबाद।	05.09.2014	15.02.2016	मेटल मोल्डस एवं डाई, वायर प्रोडक्ट्स	5.1.1(घ) 75%	$1096.35 \times 250\% = 2740.875$ वर्ग मी. जो कि भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1933.37 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1933.37 वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	20,93,038.00
2	मेसर्स कुसुम प्लास्टिक्स औद्योगिक भू0सं0 डी-12, सेक्टर-13, गीडा, गोरखपुर।	04.09.2013 एवं 08.01.2014	08-06-2014	प्लास्टिक ग्लास एवं कप निर्माण (जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आधार पर पैकेजिंग मैटेरियल निर्माण)	5.1.1(क) 100%	$461 \times 250\% = 1152$ वर्ग मी. है, जो कि भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1000 वर्ग मी0 से अधिक है। अतः भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल 1000वर्ग मीटर पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।	4,40,000.00
योग- (रूपया पच्चीस लाख तैंतीस हजार अड़तीस मात्र)							25,33,038.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि ₹0 500.00 करोड़ (₹0 पाँच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत उपर्युक्त 02 इकाइयों के स्टैम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि ₹. 25,33,038.00 (रुपया पच्चीस लाख तैंतीस हजार अड़तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
- 2- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
- 4- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020, 07.04.2020, 18.05.2020 व 29.09.2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जायेगा।
- 7- संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्राविधानों के अन्तर्गत दी जायेगी। अतः उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर संबंधित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।
- 9- छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।
- 10- इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा से संबंधित इकाइयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।
- 11- निबन्धन के पश्चात महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित इकाइयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारण्टी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरुपयोग न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 12- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व उपरोक्त इकाइयों की पात्रता एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से संबंधित मद में जमा धनराशि की पुष्टि कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे। प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।
- 13- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय, 60-अन्य, 800-अन्य व्यय, 19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई6-264/दस-2021 दिनांक-27-03-2021 द्वारा प्राप्त सहमति के तहत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-16/2021/1098(1)/77-6-2021-10(बजट)/16तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (2) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- (3) अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- (5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- (6) नियोजन अनुभाग-1/4
- (7) स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (अनुभाग-7)
- (8) औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।